

## कार्यालय:-नगर पालिक निगम जबलपुर

पत्र क्रमांक:-शिक्षा/न0नि0/2024/  
प्रति,

दिनांक:-

लोक सूचना अधिकारी  
नगर निगम जबलपुर।

विषय:- सूचना अधिकार, अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख)(xvii) के अंतर्गत 17 के स्थान पर 25 बिन्दुओं का मैन्युअल वर्ष 2022 की जानकारी वेवसाइड पर प्रकाशित करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक:-लो0सू0वि0/2024/12 दिनांक:-06/03/2024

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार सूचना अधिकार, अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख)(xvii) के अंतर्गत नवीन निर्देशानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास के लोक प्राधिकारियों के दायित्वों का 25 बिन्दुओं का मैन्युअल की वेवसाइड पर प्रकाशित किया जाना है। शिक्षा विभाग की जानकारी जो निम्नानुसार है।

| क्रमांक | विवरण   |
|---------|---|
| 01      | कार्य एवं कर्तव्य:- नगर निगम शिक्षा विभाग का संचालन   |
| 02      | अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित 02 प्राथमिक, 05 उ0मा10 शालाओं, एवं संस्कृत महाविद्यालय का संचालन  |
| 03      | निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:- निरंक   |
| 04      | कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड:-<br>मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका<br>म0प्र0शासन के कार्य(आवंटन) नियम<br>म0प्र0 कार्यपालक शासन के कार्य नियम:- शिक्षा संहिता के नियम एवं कानून   |
| 05      | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली, और अभिलेख कार्य के निर्वहन के लिए मैन्युअल और रिकार्ड की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।:- शिक्षा संहिता  |
| 06      | नियंत्रण में रखे गये आधिकारिक दस्तावेजों:- निरंक  |
| 07      | नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श एवं प्रतिनिधित्व (निरंक)   |
| 08      | समितियों के बारे में जानकारी:- निरंक  |
| 09      | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका:- नगर निगम स्थापना शाखा से प्राप्त निर्देश   |
| 10      | अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, चिनियमों, में प्रदान की गई प्रणाली की क्षतिपूर्ति सहित:- निरंक  |
| 11      | प्रत्येक एजेसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएँ शामिल हैं:- निरंक   |
| 12      | सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का प्रबंध:- निरंक   |
| 13      | रियायते परमिटियों के प्राप्तकर्ता का विवरण, लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान:- निरंक   |
| 14      | इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध सूचना:- निरंक   |
| 15      | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय/रिडिंगरूम इत्यादि:- पुस्तकालय   |
| 16      | सहायक लोक सूचना अधिकारी:- श्रीमति बीना बर्गीस शिक्षा अधिकारी<br>लोक सूचना अधिकारी:- श्री राजीव अमभोरे विधि अधिकारी<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी:- श्री शेर सिंह मीणा (आई0ए0एस) अपर कलेक्टर/अपर आयुक्त  |
| 17      | अन्य उपयोगी जानकारी पुरस्कार, विशिष्टता, पदों की जानकारी:-<br>प्राचार्य 06 पद, व्याख्याता 29 पद, उ0श्रे0शिक्षक 32 पद, सहायक शिक्षक 03 पद<br>विभागीय जॉब, सूचना अधिकारी अध्ययन रिपोर्ट, थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट, वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन,<br>पुस्तकालय:- 05 |
| 18      | निविदाएँ  |
| 19      | सार्वजनिक निजी साझेदारी:- निरंक   |
| 20      | स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश:- निरंक   |

|    |   |
|----|---|
| 21 | आर टी आई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण:- समयावधि में किया जाता है।                |
| 22 | सीएजी और पीएससी पेरा:- निरंक  |
| 23 | सेवा प्रदाय एक्ट  |
| 24 | डिस्केशनरी और नान-डिस्केशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान) निरंक |
| 25 | सी0एम0 / मंत्रियों / अधिकारियों के विदेश दौर (निरंक)                          |

शिक्षा अधिकारी  
नगर निगम जबलपुर  
दिनांक:- 11/3/2024

पृ.क्र.:- शिक्षा/न0नि0/2024/129 -

प्रतिलिपि:-सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
2. प्रथम अपीलीय अपर आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
3. अपर आयुक्त (शिक्षा,वित्त,स्थापना) नगर निगम जबलपुर।
4. उपायुक्त नगर निगम जबलपुर।
5. सहायक आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
6. श्री अंकुर खरे (एम0आई0एस0एक्सपर्ट) स्मार्ट सिटी नगर निगम जबलपुर।

शिक्षा अधिकारी  
नगर निगम जबलपुर